

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 200 / 2018
आर.सी.टी. कं. 190 / 18
संस्थापन दिनांक—11.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मिथुन पिता डोंगरसिंह उम्र 26 साल
2. डोंगरसिंह पिता औंकार उम्र 45 साल,
निवासीगण भामी थाना राजपुर, जिला बडवानी।

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक 11.05.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त मिथुन के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा— 279,337 एवं मो.यान अधिनियम की धारा 184, 3/181, 146/196 मो0यान अधिनियम एवं अभियुक्त डोंगरसिंह के विरुद्ध मो.यान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत दिनांक 19.04. 2018 को समय 09:00 बजे स्थान—ए.बी. रोड बरूफाटक पर वाहन मोटरसाईकिल हिरो कंपनी की ब्लेक कलर बिना नंबर की को बिना बीमा एवं चालक,चालक अनुज्ञप्ति के उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर संजय,मनीषा व नीरुबाई का मानव जीवन संकटापन्न करने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 19.04. 2018 को समय 09.00 बजे स्थान— ए.बी.रोड बरूफाटक पर सामने से एक मो.सा. वाला अपनी मो.सा. को तेजगति व लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर लाया और सामने उनकी मो.सा. को टक्कर मार दी जिससे वह तीनों नीचे गिर पड़े, जिससे

निरंतर.....

उसे दोनों हाथों में, बाये पैर के घुटने में, मनीषा को बाये पैर, बाये हाथ, मुंह पर सामने कपाल पर, पीठ पर चोटे आयी तथा जीजा संजय को मुंह पर सीधे हाथ पर, बाये पैर पर चोटे आयी सामने वाली मो.सा. पर बैठी महिला व छोटे बच्चे को भी चोटे आयी है। उक्त विवेचना के आधार पर थाने के अप क्र० 139 / 18 पर लेखबद्ध की गई। वाहन चालक के पास वाहन चलाने का लायसेंस एवं वेध बीमा भी मौजूद नहीं था तथा वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को बगैर चालक अनुज्ञप्ति यान चलाने की अनुज्ञा भी तथा वाहन चालक द्वारा वाहन को ऐसे तरिके से चलाया जो साधारण जनता के लिये खतरनाक है। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी 1. मिथुन पिता डोंगरसिंह उम्र 26 साल 2. डोंगरसिंह पिता औंकार उम्र 45 साल, निवासीगण भामी थाना राजपुर, जिला बडवानी ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तगण को दंड के परिणाम से अवगत कराया गया और उन्हें समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्तगण मिथुन तथा अभियुक्त डोंगरसिंह के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अभियुक्त मिथुन ने अपने आधिपत्य की **मोटरसाईकिल हिरो कंपनी की ब्लेक कलर बिना नंबर की** का परीचालन बिना बीमा के उपेक्षापूर्ण करने से संजय, मनीषा व नीरुबाई का मानव जीवन संकाटपन्न करना, आहतगण को टक्कर मार कर स्वैच्छया उपहति कारित करना, वाहन को ऐसे तरिके से लोक मार्ग पर चलाया जो साधारण जनता के लिये खतरनाक है, वाहन को लोक मार्ग पर बिना चालन अनुज्ञप्ति के चलाना तथा अभियुक्त डोंगरसिंह द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को बगैर चालक अनुज्ञप्ति के अभियुक्त मिथुन को यान चलाने के अनुमति देना स्वीकार, किया है। अतः स्वैच्छया पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण की भादसं की धारा 279, 337 एवं 184 3 / 181, 5 / 180 व 146 / 196 मो० यान अधि० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त मिथुन को भादसं की धारा 279, 337 में क्रमशः 1000 व 500 /— रुपये एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, में 500 /—, धारा 3 / 181

आप.प्र.क्र. 200/2018
// 3 // आर.सी.टी.क्र. 190/18
संस्थापन दिनांक 11.05.2018

में रुपये 300/—, धारा 146/196 में 500/—रुपये, तथा अभियुक्त डोंगरसिंह को मो.यान अधिनियम की धारा 5/180 में 500/— इस प्रकार कुल रुपये 3,300/— के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त मिथुन को क्रमशः 07, 03, 07,07,03 दिवस का प्रथक—प्रथक तथा अभियुक्त डोंगरसिंह को 07 दिवस का प्रथक कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन **मोटरसाईकिल हिरो कंपनी की ब्लेक कलर बिना नंबर की** उसके रजिस्टर्ड स्वामी को दस्तावेज सहित वापिस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही/—

सही/—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र